

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी निरमा निशानोई आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर - 257/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

- 1-2 भंवरी, मदन पिता शंकर दरोगा नि. उपरेड़ा तहसील बनेड़ा
- 3- रमेशचन्द्र पिता मोहन लाल महाजन नि. उपरेड़ा तहसील बनेड़ा
- 4- सजनी पिता बालु दरोगा नि. उपरेड़ा तहसील बनेड़ा
- 5- सरोज पत्नि कैलाशचन्द्र सोमानी नि. संस्कृत विद्या पीठ स्कुल नई शाम की सब्जीमण्डी, भीलवाड़ा

-प्रार्थीगण

बनाम

- 1- भैरूलाल पिता घीसा खटीक नि. उपरेड़ा तहसील बनेड़ा
- 2- बिंजु पिता गोपी रेगर नि. उपरेड़ा तहसील बनेड़ा
- 3- मदन लाल पिता शेकर दरोगा नि. उपरेड़ा तहसील बनेड़ा
- 6- तहसीलदार बनेड़ा

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी:- के.के. जीनगर

निर्णय

दिनांक :- 01/05/2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1406 कुल कित्ता 1 रकबा 3.4525 है० के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान की बहस सुनी और उस पर मनन किया। पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। ग्राम उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 1406 कुल कित्ता 1 रकबा 3.4525 है० भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है। उक्त भूमि को लेकर पड़ोसी खातेदारों के मध्य यदि स्पष्ट सीमा विभाजक चिन्ह नहीं होते हैं तो परस्पर सीमा-विवाद होना स्वाभाविक है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार एवं कब्जेकाश्त है। धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में प्रावधान है कि सीमा विवादों का निस्तारण धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा। अतः हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करना विधिसंगत समझते हैं।



// आदेश //

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी स्थापित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बनेड़ा को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रार्थी खातेदार की ग्राम राक्षी में स्थित आराजीयात् में से आराजी नम्बर 1406 कुल कित्ता 1 रकबा 3.4525 है० भूमि का राजस्थान भू-राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया से सीमाज्ञान करते हुए सीमा-विवाद का निस्तारण करें एवं खातेदार की खातेदारी भूमि पर संबंधित खातेदार के हर्जे-खर्जे पर सीमा विभाजक रोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार बनेड़ा को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

शा.प.

(निरमा बिश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 01/05/2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय राक्षी पर सुनाया गया।

शा.प.

(निरमा बिश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा


तारीख हुक्म
257 / 2022

हुक्म या कार्यवाही गय इन्डियाना जज

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील में जारी
हुए

01.05.2023

पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के रांग अभियान 2023 केम्प के तहत केम्प कोर्ट उपरेडा पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में प्रार्थी द्वारा ग्राम उपरेडा जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से पत्थरगढी/सीमांकन से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पडौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। आराजी नम्बर 1406 कुल किता 1 रकबा 3.4525 है0 दर्ज रेकार्ड होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा